रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0एम0 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 28 फरवरी, 1990/9 फाल्गुन, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 3 फरवरी, 1990

संख्या एम0एन0 डी0-आर0 डी0 बी-सैकशन-4632-36.—क्योंकि श्री नोक सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत छपराहण विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि मु0 2217-00 रुपय अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री नोक सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत छपराहण, विकास खण्ड गोहर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जन हितार्थ में नहीं है।

अत: मैं एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है श्री नोक सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत छपराहण, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता।

मण्डी, 3 फरवरी, 1990

संख्या एम0 एन0 डी0-आर0 डी0 बी0-सैक्शन-4637-41.—क्योंकि श्री कांशी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नाण्डी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश न पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 1126-38 रुपय अपन पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरूपयोग किया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री कांशी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नाण्डी, विकास खण्ड गोहर ने अपने पद का दुरूपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जन हितार्थ में नहीं है ।

अत: मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री कांशी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत नाण्डी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता ।

मण्डी, 3 फरवरी, 1990

संख्या एम0 एन0डी0-आर0 डी0 बी0-सैक्शन 4627-31.—क्योंकि श्री धुंगल, प्रधान, ग्राम पंचायत स्याज, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 5079-90 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरूपयोग किया है।

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री धुंगल, प्रधान, ग्राम पंचायत स्यांज, विकास खण्ड गोहर ने अपने पद का दुरूपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जन हितार्थ में नहीं है।

अत: मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री धुंगल, प्रधान, ग्राम पंचायत स्यांज विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता।

मण्डी, 15 फरवरी, 1990

संख्या एम0 एन0 डी-डैव-सैक्शन/90-5620-24.—क्योंकि श्री भगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत ओट, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी ने निम्नलिखित पंचायत सभा निधि की धनराशि का दुरुपयोग किया है जो सरासर हिमाचल प्रदश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना है।

1. दिनांक 31-12-1988 को मु0 500/- रुपये ग्राम पंचायत औट के खाते में पंजाब नेशनल बैंक में जमा किये हुए दिखाए गए हैं परन्तु पास बुक देखने से पाया गया कि राशि बैंक में दिनांक 3-1-1990 तक जमा नहीं पाई गई है जिसका दुरुपयोग किया गया है। अब मु0 500/- रुपये ब्याज सहित पंचायत सचिव से वसूल की गई है जो हिमाचल प्रदेश वित्त नियम, 1975 के नियम की उलंघना है।

2. मु0 400/- रुपये श्री खेम राम चौकीदार ने ग्राम निवासियों से 3/89 को वसूल किये जो 31-12-1989 तक उसके पास रहे मु0 100/- रुपये वसूल किय गये और शेष राशि ब्याज सहित वसूल करने को शेष है, और अब राशि उससे दिनांक 5-1-1990 को वसूल की, परन्तु ब्याज अभी तक वसूल करने को शेष रहता है।

3. साल 1988-89 में 423 राशन कार्ड जारी किये गये उनमें से 356 राशन कार्ड की फीस पंचायत खाते में जमा की गई और मु0 134/- रुपये 67 राशन कार्ड की फीस का दुरुपयोग किया गया है जो अब दिनांक 3-1-1990 को जमा की गई है।

4. दिनांक 10-11-1989 को मु0 400/- रुपये को-ओपरेटिव बैंक मण्डी से चैक नम्बर-19704 द्वारा निकाले गये जो 3-1-1990 तक पंचायत खाते में दर्ज नहीं की गई और इस राशि का दुरुपयोग किया गया।

5. पंचायत द्वारा प्राप्ति संख्या-23860, 23866 दिनांक 2-12-1988 मु0 14/- रुपये वसूल किये जिसको रोकड़ में दर्ज नहीं किया गया और उपरोक्त राशि का दुरुपयोग किया गया।

6. ग्राम पंचायत औट द्वारा प्राप्ति संख्या-23883 से 23896 दिनांक 5-12-89 को मु0 36/- रुपये वसूल किये जो रोकड़ में दर्ज नहीं किये गये और राशि का दुरुपयोग किया गया।

7. पंचायत द्वारा पैदल रास्ता बाजा से कमराधा जवाहर रोजगार के अन्तर्गत मु0 4698/- रुपये के अन्तर्गत खर्च बताया गया है, मस्ट्रोल मास सितम्बर, 89 की हाजरी 31-9-1989 तक नौ (9) बेलदारों की लगाई गई है, जबकि सितम्बर, 30 दिन का होता है इस तरह से मु0 162/-रुपये 9 बेलदारों के वेतन का छनहरण किया गया है और सितम्बर मास का मस्ट्रोल फर्जी प्रतीत होता है।

8. पंचायत द्वारा निम्नलिखित योजना के निर्माण हेत जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई :—

1.	पैदल रास्ता थलौट से फागू	.. 1980-00
2.	पैदल रास्ता शालानाल से धारगार	.. 4000-00
3.	पैदल रास्ता पानीहार से मटैल	.. 2862-00

इन योजना की कोई असैस्मैंट बगैरा नहीं की गई है।

9. पंचायत द्वारा श्री आलम चन्द सुपुत्र गंगूराम, जाति हरिजन को मु0 3000/- रुपये दिये गये और 600 स्लेट उसको जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 7-11-1989 को दिये गये परन्तु उनकी कोई कुटशन इत्यादि नहीं ली गई स्लेट 22×11 क्रय करने के बाद भी कुटेशन नहीं ली गई और न ही कोई प्रस्ताव पास किया गया है, इस लेन-देन में शंका प्रतीत होती है।

10. श्री झावे राम सुपुत्र श्री चान्दू, जाति हरिजन को दिनांक 6-11-1989 को मु0 2000/- रुपये 400 स्लेट उसको जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उसके घर बनाये जाने हेतु दिये परन्तु इस खरीददारी में पंचायत ने पाई गई अनियमितताओं को मान लिया है।

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री भगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत ओट ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जन हितार्थ में नहीं है।

अतः मैं एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है श्री भगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत ओट, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

पचायती राज विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 15 फरवरी, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0 एच0 ए0(5)18/88.—इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जनवरी, 1989 के अन्तिम पैरा में "अतिरिक्त उपायुक्त" सिरमौर के स्थान पर "अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी" सिरमौर पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-,
वित्तायुक्त (वि0) एवं सचिव (पंचायत)।

कार्यालय आदेश

शिमला-2 16 फरवरी 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 45/89.—क्योंकि श्री नारायण सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग के विरुद्ध उपायुक्त मण्डी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस सं0 एम0 एन0 डी0-डैव सैक्शन/89-43251-55 दिनांक 15-11-89 में जो दो आरोप अंकित हैं उन पर विधिवत जांच का करवाया जाना उचित है ताकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अन्तिम कार्यवाही पूरी की जा सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त मण्डी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव (पंचायत)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित